न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं0 – **एम0 02/2023**

वाद की प्रकृति :– धारा – 107, द0प्र0सं0

झारखण्ड सरकार द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर –बनाम– अफरोज खान वगै०

आ दे श

पुलिस निरीक्षक –सह– थाना प्रभारी, चैनपुर थाना के चैनुपर थाना अप्राथमिकी सं0 – 06/2023, दिनांक – 27.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 107 के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष अफरोज खान, जावेद खान, फिरोज खान, जरूद्दीन खान, कलाम खान, इम्तियाजन खान, अयूब खान, समशाद खान, अनवर मियां, फरदीनन्द तिर्की, रोबर्ट तिर्की, वाहिद मियां, मुनाजीन खान, जज खान, सरफराज शेख, रशीद खान, सुफियान खान सभी थाना– चैनपुर, जिला– गुमला को ईद–उल–जुहा (बकरीद) पर्व में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में, संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रश्नगत वाद में ईद–उल–जुहा (बकरीद) पर्व की समाप्ति हो चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा शांति व्यवस्थ भंग होने की सूचना नहीं दी गई है। इस वाद कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.07.22 14:19:35 +05:30
Location: 192.168.43.18

Scanned with ACE Scanner